# कार्यालय जिलाधिकारी,खगड़िया।
## (जिला सामान्य शाखा)
# आदेश

आवेदक पवन कुमार यादव ,पे0–स्व0रामदास प्रसाद यादव, सा0–बडी कोठिया ,थाना –मुफ्फसिल ,जिला–खगड़िया द्वारा आवेदन एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके पिता रामदास प्रसाद यादव, पे0–स्व0 जनक यादव , सा0–बडी कोठिया ,थाना–मुफ्फसिल ,जिला–खगड़िया की दिनांक 11.12.2016 को मृत्यु हो चुकी है। स्व0 रामदास प्रसाद यादव शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या – 41/90 (खगडिया थाना) के धारक थे। पिता के मृत्योपरान्त आवेदक के छोटे भाई राकेश कुमार यादव उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दोनाली बंदुक संख्या– 8008B/7 Y-89 को एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका को अबैध रूप से अपने कब्जे में रखे हुए है।

अतः उक्त के आलोक में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(4) के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 41/90(खगड़िया थाना) को रद्द किया जाता है। थानाध्यक्ष मुफ्फसिल (खगड़िया) को आदेश दिया जाता है कि दोनाली बंदुक संख्या–8008B/7 Y-89 को अविलम्ब खगड़िया थाना के मालखाना में एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका को इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें , साथ ही अबैध रूप से शस्त्र को अपने पास रखने के आरोप में राकेश कुमार यादव , पे0–स्व0रामदास प्रसाद यादव, सा0–बडी कोठिया ,थाना–मुफ्फसिल ,जिला–खगड़िया पर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25 के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक. IV -22/2018......298....../जी0 दिनांक 03.04.18/

प्रतिलिपिः–पवन कुमार यादव ,पे0–स्व0रामदास प्रसाद यादव, सा0–बडी कोठिया ,थाना–मुफ्फसिल ,जिला–खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– थानाध्यक्ष, मुफ्फसिल (खगड़िया) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0प्रबंधक,खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी जिला दंडाधिकारी ,बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।